

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... बलराज सिंह ..... बनाम ..... सतनाम सिंह आदि  
 प्रकरण संख्या ..... 45 / 2022 अन्तर्गत धारा ..... 312 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं ति जो इस आदे पालना में जा
15 <sup>02</sup> / <sub>24</sub>	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23/06/2022 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल पकृत हो</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर